अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

लोकेश देव v/s गोविंद वगै.

2022/384

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

श्री योगेन्द्र सिंह श्री महेन्द्र सिंह

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए

लोकेश देव बनाम गोविन्द वगैरह (384/2022)

2.1.23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं आदेश स्थगन प्रार्थना पत्र हेतु पेश की गई। अभिभाषक उभयपक्ष को प्रार्थना पत्रों पर दिनांक 21.12.2022 को सुना जाकर आदेश हेतु रिजर्व रखी गयी थी।

सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू द्वारा अपीलांट का केवियट प्रार्थना पत्र होने के बावजूद अपीलांट के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही करते हुए आदेश दिनांक 13.04.2022 प्रदान किया। जिसकी सूचना अपीलांट को कतई संभव नहीं थी परन्तु अपीलांट द्वारा उक्त आदेश की सूचना होने के उपरान्त दिनांक 08.06.2022 को जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अविधिक एक पक्षीय आदेश को निरस्त करने का निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालयं द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 को अनुचित लाभ पहुँचाने की गरज से आज दिनांक तक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में कोई सुनवाई नही करते हुए मात्र प्रकरण को लम्बित करने के उद्देश्य से उक्त जवाब प्रार्थना–पत्र पर कोई सुनवाई नहीं करते हुए मात्र तलबी में एवं अन्य प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई हेतु नियत किया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा उक्त अविधिक स्थगन आदेश की आड़ में बार–बार अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी एवं मदाखलत उत्पन्न किया जा रहा है जिस वजह से अपीलांट को यह अपील प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। विचारण न्यायालय के उक्त रवैये के कारण अपीलांट को उक्त अपील प्रस्तुत करने में देरी सद्भाविक एवं संतोषप्रद है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जा कर अपील प्रस्तुत किये जाने में जो देरी हुई है वह उपरोक्त सद्भाविक कारणों से क्षमा फरमाते हुए अपील को अन्दर मियाद शुमार फरमाया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांटस की से दिनांक 24.05.2022 को अभिभाषक उपस्थित हो चुके थे। दिनांक 24.05.2022 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त प्रकरण की जानकारी उनको हो चुकी थी, फिर भी यह अपील उक्त जानकारी से मियाद बाहर प्रस्तुत की है तथा मियाद बाहर होने के कारण संतोषजनक एव सद्भाविक नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अपील को देरी से प्रस्तुत करने के कारण संतोषजनक एवं सद्भाविक होने के कारण न्यायहित में उक्त प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात प्रार्थना पत्र स्थगन पर आदेश किया जाना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने जवाब स्थगन प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि रेस्पोडेनट संख्या 01 स्वच्छ हाथो से अपना वाद व अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र लेकर नहीं आया है। वादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के विरूद्ध पूर्व में ही प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में सहायक कलैक्टर, दूदू एवं माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में मौके व रिकार्ड की

---- लगातार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

अज अदालत राजस्व अपील...

हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर

384/2022/225

तारीख 2022/384 श्री महेन्द्र सिंह —।

पेशी श्री योगेन्द्र सिंह

लगातार विवादित आराजी की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान किये हुए थे एवं एक अन्य वाद कमला देवी बनाम विजयलक्ष्मी मे भी विवादित भूमि की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश दिनांक 19.02.2022 को प्रदान किये गये थे जब परीक्षण न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर ने विवादित भूमि बाबत् पूर्व में ही अलग-अलग वादों एवं निगरानी में यथास्थिति के आदेश प्रदान किये हुए थे तो अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में पूर्व में जारी स्थगन को छिपाते हुए द्वितीय वाद पेश किये है। अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश अन्तर्गत अपील पारित करते समय पूर्ववर्ती वादों में एवं माननीय मण्डल द्वारा पारित अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश को निष्प्रभावी कर दिया। अपील के विचाराधीन रहते अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2022 की क्रियान्विति को स्थगित नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होगी जिसकी कमीपूर्ति किसी भी रूप से संभव नहीं हो सकेगी।माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना-पत्र स्थगन को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के आदेश दिनांक 13.04.2022 की क्रियान्विति को स्थगित फरमाते हुए विवादित भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आदेश प्रदान करावे।

अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि आराजी जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 के आराजी खाता संख्या 650 के आराजी खसरा नम्बर 7011 लगायत 7020 कुल किता 10 कुल रकबा 1.9700 है0, खाता संख्या 650 के आराजी खसरा नम्बर 7262, 7263, 7264, 7501, 7502, 8126 लगायत 8133, 8137, 8138, 8184, 8187, 8200, 8204 कुल किता 19 कुल रकबा 10.6200 है0, खाता संख्या 1507 के खसरा नम्बर 7505 रकबा 0.3700 है0 कुल रकबा 0.3700 है0 वाके ग्राम मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जिसके प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 05, 06 रेंकार्डेड काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार है तथा लगान सरकारी जमा कराते आ रहे है। अप्रार्थीगण या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सम्बन्ध एवं सरोकार नहीं है। प्रार्थी अपनी उक्त आराजीयात पर मौके पर सींव मेर डालकर चारो तरफ मेडबन्दी कर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करता आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 13.04.2022 को विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया है जिससे अपीलांट को किसी प्रकार की क्षति उत्पन्न नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अंतिम स्तर पर विचाराधीन है इसलिए अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष चाराजोही करनी चाहिए। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 उपरोक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं जिसको अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है,इसलिए स्थगन प्रार्थना पत्र व अपील को खारिज फरमायी जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

अभिभाषक उभयपक्ष के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 13.04.2022 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 13.04.2022 को विवादित आराजी की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने एवं प्रार्थी के कब्जेकाश्त में दखलंदाजी नहीं करने हेतु पाबंद किया है तथा अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक

लगातार...

...अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील जारी हुए
	2022/384 श्री योगेन्द्र सिंह श्री महेन्द्र सिंह	
लगातार	24.05.2022 को उपस्थिति दे दी है, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या 05, 06 हेतु नियत है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण को लगभग 8 माह हो चुके है फिर भी उनके द्वारा प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया गया है जबकि जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 क में यह व्यवस्था दी गई है कि जहॉ कोई व्यादेश विरोधी पक्षकार को सूचना दिए बिना दिया गया वहॉ न्यायालय आवेदन को ऐसी तारीख से जिसका व्यादेश दिया गया था, तीस दिन के भीतर निपटाने का प्रयास करेगा और जहॉ वह ऐसा करने में असमर्थ है वहॉ वह ऐसी असमर्थता के लिए कारण अभिलिखित करेगा। प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय को ही करना है किन्तु जाप्ता दीवानी के आदेश 39 नियम 3 के तहत् अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाना उचित समझते है कि वह प्रार्थना पत्र का निस्तारण 30 दिवस में आवश्यक रूप से करें। न्यायहित में हम पक्षकारान् के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र में उभय पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें। **अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक),दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए, प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का गुणावगुण पर 30 दिवस में निस्तारण करें । अभिभाषक उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.01.2023 को उपस्थित होवें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।** राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

जयपुर/अपील/टी.ए. संख्या...384.../2022

2022 | 384

लोकेशदेव पुत्र लक्ष्मणदेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।

अपीलान्ट

बनाम

1. गोविन्द पुत्र भंवरलाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी मौजमाबाद हाल निवासी 19/1 आर.एन.टी. मार्ग छावनी इन्दौर म.प्र.।
2. लोकेन्द्रदेव पुत्र लक्ष्मणदेव जाति बागडा ब्राह्मण निवासी मौजमाबाद तहसील मौजमाबाद हाल निवासी ए-54 शांति नगर ए एस मेमोरियल पब्लिक स्कूल के पीछे जयपुर जिला अजमेर।
3. श्रीमती रामस्वरूप देवी पत्नी जुगलकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी डी-39 डी-55 चौमू हाउस सरदार पटेल मार्ग सी स्कीम जयपुर जिला जयपुर ।
4. श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी हरिनारायण प्रधान जाति ब्राह्मण निवासी बागडों का बास बगरू तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
5. त्रिपुरारीलाल पुत्र भंवरलाल
6. रमेशचन्द पुत्र भंवरलाल

   समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी मौजमाबाद हाल निवासी 19/1 आर.एन.टी. मार्ग छावनी इन्दौर म.प्र.।
7. राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय विद्वान सहायक कलक्टर दूंदू दिनांक 13.04.2022 वाद संख्या 33/2022

384 | 2022
29/11/22

U.T. for Respondent No.1
29-11-2022

Scanned with CamScanner